सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
सीप्ज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीप्ज़-विआक्षे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

सत्यमेव जयते

फाइल सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/एनओएमआइ/518/2016-17/ **दिनांक 10.3.2017**

परिपत्र संख्या - 28

विषयः- सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामन प्रस्तुत किए जाने की तारीख 31 मार्च, 2017 तक बढ़ाए जाने के संबंध में ।

सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण के सदस्य रूप में नामन के संबंध में परिपत्र संख्या 23/सीप्ज़-सेज़/संपदा/एनओएमआइ/518/2016-17 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । सभी यूनिटधारकों तथा जनपयोगी सेवाओं से अनुरोध है कि वे निर्धारित फॉर्मेट में दिनांक 31 मार्च, 2017 तक अथवा इसके पूर्व विवरण सहित अपनी रजामंदी प्रस्तुत करें ।

31 मार्च, 2017 के पश्चात प्राप्त होने वाली रजामंदी पर नामन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

यह अध्यक्ष, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

विज्ञ 10/3/2017

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त/
संपदा प्रबंधक
सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण

प्रति,

सभी यूनिट तथा जनोपयोगी सेवाएं

सत्यमेव जयते

सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
सीप्ज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीप्ज़-विआक्षे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/नोमी/518/2016-17/ दिनांकः 21.01.2017

परिपत्र संख्या 23/2017 | 01785

विषयः सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के सदस्यों के नामन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में ।

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र में आधारिक संचरना के विकास तथा अनुरक्षण का कार्य करने वाली शासी निकाय है । प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित चार पदेन स्थायी सदस्य तथा ट्रेड से दो नामित सदस्य होते हैं । वर्तमान नामित सदस्यों का कार्यकाल दो महीनों में समाप्त होने वाला है । अतएव, सीप्ज़-सेज़ में स्थित यूनिटों से दो सदस्यों के लिए नए नामन प्राप्त करके प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

यदि आप नामन के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों, तो कृपया 26 फरवरी, 2017 से पूर्व अपनी सहमति भिजवा दें । कृपया यह ध्यान रखें कि नामित सदस्यों के लिए प्राधिकरण की बुलाई जानी वाली बैठकों में भाग लेना आवश्यक है । सामान्यतः तिमाही के आधार पर बैठकें आयोजित की जाती है । बैठक बुलाने के पूर्व 15 दिनों की सूचना दी जाती है ।

केवल प्रबंध निदेशक/निदेशक (कंपनी के ऑनबोर्ड) यूनिटों के मैनेजिंग पार्टनर तथा प्रोपराइटर ही नामन के पात्र होंगे । नामन के प्रत्यायोजन की अनुमति नहीं है । निम्नलिखित परिस्थितियों में नामित सदस्य के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने सदस्यता छोड़ दी हैः-

i) विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण से त्याग पत्र ।
ii) सदस्य की मृत्यु
iii) ऐसे यूनिट का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य जो संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र को देय का भुगतान न कर रहा हो ।
iv) ऐसा सदस्य जो प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों की कार्रवाई से स्वयं अनुपस्थित रहा हो ।

v) ऐसे यूनिट का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य जिसके विरूद्ध तद्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई हो ।

vi) ऐसे यूनिट का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य जो रूग्ण हो, बंद हो अथवा जो लगातार छह महीनों से अधिक निर्यात न कर रहा हो ।

vii) ऐसे यूनिट का प्रतिनिधित्व करने वाला उद्यमी जिसका जारी अनुमोदन पत्र कपट, अन्यथा प्रस्तुति आदि के कारण रद्द कर दिया गया हो ।

निर्धारित फॉर्मेट में विवरण प्रस्तुत किया जाए (फॉर्मेट संलग्न) ।

नामन के लिए 16 फरवरी, 2017 के बाद प्राप्त होने वाले सहमति पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त /
संपदा प्रबंधक,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

1	यूनिट का नाम	
2	प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक का नाम	
3	यूनिट का क्षेत्र	
4	यूनिट की स्थापना की तारीख तथा यूनिट के अनुमोदन पत्र की वैधता की तारीख	
5	किया गया कुल निवेश	
6	पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया निर्यात	
7	यूनिट द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोज़गार	
8	क्या एफटीडीआर अथवा सेज़ अधिनियम, 2005 के तहत यूनिट के विरूद्ध कोई मामला लंबित है	
9	अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो तो	